BCCI BULLETIN
BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES
Estd. 1926

Vol. XXXXVI | 19th August, 2015 | No. 14

सड़क दुर्घटना में घायल की तत्काल करें सहायता

कार्यशाला को सम्बोधित करते श्री ओ० पी० साह, चैम्बर अध्यक्ष। उनकी दाँयीं ओर क्रमशः श्री चंदन कुशवाहा, सिटी एसपी एवं डॉ० गुरिंदर रंधावा एवं बाँयीं ओर सुभाष कुमार पटवारी, उपाध्यक्ष एवं अन्य।

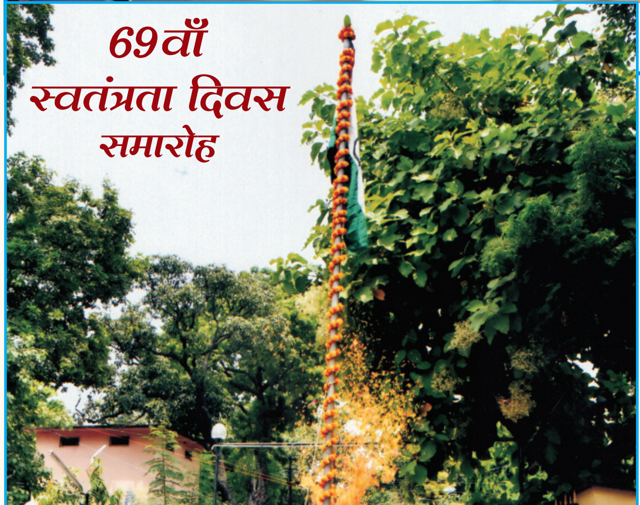

15 अगस्त 2015 को पूर्वाह्न 11 बजे चैम्बर प्रांगण में चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह द्वारा राष्ट्रध्वज फहरा कर 69वाँ स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर चैम्बर के माननीय सदस्यगण काफी संख्या में उपस्थित थे।

किसी भी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तत्काल सहायता पहुँचाना हमारा कर्तव्य और जिम्मेवारी है। समय पर उनकी मदद से जान बचायी जा सकती है। इसलिए ऐसे समय में खास ध्यान दें। ये बातें पटना के सीनियर एसपी विकास वैभव ने दिनांक 2.8.2015 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (बीसीसीआई) में आयोजित वर्कशॉप में कहीं। वे बीसीसीआइ, जिला प्रशासन एवं ब्लू ओसियन कंसल्टेंट की ओर से आयोजित बेसिक लाइफ सपोर्ट व फर्स्ट एड कार्यक्रम में बोल रहे थे। चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने कहा कि इस प्रशिक्षण से लोगों को काफी लाभ होगा। इससे कई लोगों की जान बचायी जा सकेंगी। सड़क दुर्घटना में आम लोग सहित पुलिस ही सहायता के लिए पहुंचती है। अमेरिकन हर्ट एसोसिएशन के ट्रेनर नीतीश कुमार ने कहा कि किसी भी दुर्घटना में घायल व्यक्ति की जान बचायी जा सकती है। प्राथमिक सहायता देना जरूरी है। मौके पर सिटी एसपी चंदन कुशवाहा, ब्लू ओसियन के सीएमडी आशीष कुमार गुप्ता, डॉ० अभय दहिया, डॉ० गुरिंदर रंधावा, श्री सुभाष कुमार पटवारी, उपाध्यक्ष सहित लगभग 60 एसआइ व एएसआइ उपस्थित थे।

सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की ऐसे मदद करें

• अगर आहत व्यक्ति होश में हो, तो उसे दिलासा दिलाएं • आहत व्यक्ति को बिना कोई और नुकसान पहुँचाए, उसे सुरक्षित जगह पर पहुँचाएँ • हाथ से दबा कर रक्तस्राव रोकने की कोशिश करें • सांस व दिल की धड़कन जाँच करें • जरूरत हो तो कृत्रिम सांस दिलाने व दिल की मालिश करने की कोशिश करें • घायल व्यक्ति हिलने की स्थिति में न हो, तो उसे ले जाने के लिए एक स्ट्रेचर बना लें • अगर व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी टूटी हो, तो उसे पेट के बल लिटाएं, ताकि रीढ़ की हड्डी को और नुकसान न पहुँचे।

(साभारः प्रभात खबर, 3.8.2015)

वन टाइम सेटलमेंट स्कीम शुरू करेगा वाणिज्यकर विभाग

राज्य के व्यापारियों को जल्दी ही राहत मिलने वाली है। राहत की बात यह है कि वाणिज्य कर विभाग वन टाइम सेटलमेंट स्कीम शुरू करने जा रहा है। जिन व्यापारियों का पिछले कई वर्षो से वाणिज्य कर विभाग में बकाया है, और अधिक ब्याज एवं पेनाल्टी की वजह से टैक्स जमा नहीं किया है, वे अब वन टाइम सेटलमेंट कर टैक्स जमा कर सकते हैं।

इस संबंध में वाणिज्य कर विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। उम्मीद की जा रही है कि अगले

अध्यक्ष की कलम से......

प्रिय सदस्यगण,

राज्य सरकार ने वैट कानून के तहत व्यवसायियों के निबन्धन की पात्रता को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया है और बिहार बिक्री कर कानून एवं बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम के लम्बित विवादों के निपटारा हेतु एकमुश्त समझौता योजना लागू किया है। इस हेतु हम आप समस्त व्यवसायियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करते हैं ।

इससे छोटे व्यवसायियों को जिनका टर्न ओभर सलाना 10 लाख से कम है, उन्हें वैट में निबन्धन से मुक्ति मिलने से काफी राहत मिलेगी। समझौता योजना के लागू होने से सरकार एवं व्यवसायी दोनों को फायदा होगा।

फूड सेफ्टी एण्ड स्टैंडर्ड ऑथरिटी ऑफ इण्डिया (FSSAI) के आदेश दिनांक 6 अगस्त, 2015 के अर्न्तगत अनुज्ञप्ति एवं पंजीकरण की समय सीमा में छह माह का विस्तार कर 4 फरवरी, 2016 कर दिया गया है। इससे व्यावसायियों को राहत मिलेगी।

यह भी एक खुशी का विषय है कि प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग ने पटना में नये बिल्डिंग बाईलौज के अनुसार नक्शा पास करने की स्वीकृति पटना नगर निगम के आयुक्त एवं खगौल, दानापुर और फुलवारीशरीफ के कार्यपालक पदाधिकारियों को दे दिया है। इससे विनिर्माण क्षेत्र में ढ़ाई वर्षों से छाया सुखा समाप्त होगा और नव निर्माण से जुड़े सभी व्यवसायियों को लाभ होगा।

आपका
ओ. पी. साह
अध्यक्ष

केबिनेट की बैठक में इस स्कीम को लागू कर दिया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि इस योजना की कोई सीमा नहीं होगी। इस योजना में उन सभी को शामिल किया जाएगा, जिनका टैक्स विभाग में बकाया है। विभाग के अनुसार पूरे बिहार में लगभग 2000 केस पेंडिंग हैं जिनपर लगभग 3000 करोड़ रुपये बकाया है। इसमें कुछ व्यापारी अपना कारोबार बंद कर चुके हैं, और कुछ फर्म का नाम बदलकर कारोबार चला रहे हैं। केबिनेट से पास होने के बाद विभाग ऐसे व्यापारियों को चिन्हित कर कम से कम टैक्स वसूल करेगा। **(हिन्दुस्तान, 31.7.2015)**

जीएसटी संशोधनों को कैबिनेट की मंजूरी

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) विधेयक में राज्यसभा की प्रवर समिति की सिफारिशों के मुताबिक संशोधनों को मंजूरी दे दी।

इसके तहत देशभर में एक समान अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था लागू होने के बाद राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की पाँच साल तक भरपाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में समिति की सिफारिशों को मंजूरी मिली। कैबिनेट ने राजस्व क्षतिपूर्ति और सामानों की अंतरराज्यीय आपूर्ति मामले में राज्यों द्वारा एक फीसदी अतिरिक्त कर लगाने संबंधी प्रावधानों में बदलाव समेत तीन सुझाव के मुताबिक संशोधन को अनुमति दी है। वहीं राज्यों को मुआवजा केन्द्र की ओर से मुहैया कर सकने के स्थान पर पाँच साल तक क्षतिपूर्ति की प्रतिबद्धता व जीएसटी में उत्पादक राज्यों को एक फीसदी तक मुआवजा देने की सिफारिश भी मंजूर की है।

नए उपभोक्ता संरक्षण विघेयक को हरी झंडी : कैबिनेट ने नए उपभोक्ता संरक्षण विधेयक को भी मंजूरी दी है। इसमें उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए अमेरिका और यूरोपीय देशों की तर्ज पर एक उपभोक्ता प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव है। यह विधेयक 29 वर्ष पुराने कानून का स्थान लेगा।

(साभार : हिन्दुस्तान, 30.7.2015)

व्यवसायियों की निबंधन की सीमा बढ़ाने एवं लंबित विवादों के निपटारा हेतु समझौता योजना लाने के राज्य मंत्री परिषद के निर्णय का स्वागत

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा वैट कानून के तहत निबंधन की पात्रता को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किए जाने और बिहार बिक्री कर कानून एवं बिहार मुल्यवर्द्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत चल रहे विवादों के निपटारा हेतु एक मुश्त समझौता योजना के अनुमोदन का हार्दिक स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के प्रति आभार व्यक्त किया है।

चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि मुद्रास्फिति की दर को देखते हुए बिहार मुल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 के अन्तर्गत वैट कानूनों के तहत 2005 में निर्धारित 5 लाख तक व्यवसाय करनेवालों की जगह अब 10 लाख तक के व्यवसाय करनेवाले को वैट में निबंधन से मुक्ति मिल जाएगी, जो कि एक समीचीन और स्वागत योग्य कदम है। इससे छोटे व्यवसायियों जिनका वार्षिक टर्न ओवर 10 लाख से कम है, को काफी राहत मिलेगी। श्री साह ने आगे बताया कि इसी तरह से वाणिज्य-कर विभाग और व्यवसायियों के बीच लंबित चले आ रहे विवादों के निपटारे के लिए एक मुश्त समझौता योजना लागू करने से जहाँ एक ओर विभाग को मुकदमों के कारण फंसे हजारों करोड़ के राजस्व की प्राप्ति होगी वहीं दूसरी ओर व्यवसायियों को नाहक मुकदमेबाजी और मानसिक प्रताड़ना से मुक्ति मिल जाएगी।

चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह ने वाणिज्य-कर विभाग से अनुरोध किया है कि राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए उपरोक्त दोनों निर्णय की अधिसूचना अतिशीघ्र निर्गत किया जाए जिससे कि इन दोनों राहतों का लाभ व्यवसायियों, विशेषकर छोटे व्यवसायियों एवं विभाग को प्राप्त हो सके।

चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने वैट पर दिए सुझाव

बिहार में वैट को एक अप्रैल 2005 से लागू किया गया था। 10 साल गुजर जाने के बाद भी यहाँ के व्यापारियों एवं उद्यमियों को इस कर प्रणाली से कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने वाणिज्य कर विभाग को राज्य के व्यापारियों के हित में कुछ सुझाव दिए है। इस सुझाव पर विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

ये हैं सुझाव : • रोड परमिट डी-VIII में किलोमीटर लिखने की बाध्यता खत्म हो • रोड परमिट डी-VIII में स्टेटमेंट निकालने की सुविधा होनी चाहिए • परमिट के सत्यापन में यदि व्यापारी के पास विवरणी एवं डिफॉल्टर हो तो वाहन को रोका नहीं जाना चाहिए • ऐसे सामान जो राज्य के बाहर से आते हैं परंतु गंतव्य स्थान तक नहीं पहुचने से छोटे वाहनों से भेजा जाता है, उसपर परमिट नहीं लगनी चाहिए • एक ही बीजक पर एक से अधिक ट्रक पर सामान आ रहा हो तो उसे रोका नहीं जाना चाहिए। • राज्य के अंदर किसी प्रकार की परमिट की बाध्यता नहीं होनी चाहिए।

(साभार : हिन्दुस्तान, 30.7.2015)

10 लाख से अधिक के कारोबार पर ही अनिवार्य

राज्य सरकार ने व्यवसायियों को राहत देते हुए उनके लिए मूल्यवर्द्धित कर में नए प्रावधान किए है। इसके लिए विधानसभा में बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2015 पारित किया गया। वित्त व वाणिज्यकर मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में विधेयक पेश किया, जिसपर सदन ने अपनी सहमति दे दी।

यादव ने बताया कि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 में प्रावधान था कि राज्य के अंदर खरीद-बिक्री करने वाले किसी व्यवसायी का व्यवसाय पाँच लाख से अधिक होने पर निबंधन का प्रावधान था। इसे बढ़ाकर दस लाख कर दिया गया है। अर्यात किसी व्यवसायी का कारोबार लगातार 12 माह तक दस लाख से अधिक होने पर वैट अधिनियम के तहत निबंधन लिये जाने की बाध्यता होगी।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 में ही प्रावधान है कि किसी व्यवसायी का कारोबार 250 करोड़ से अधिक होने पर अधिसूचित वस्तुओं की बिक्री पर तीन फीसदी की दर से अतिरिक्त भुगतान करना था। इसमें संशोधन करते हुए प्रावधान किया गया है कि अधिसूचित वस्तुओं की वार्षिक बिक्री 250 करोड़ से अधिक होने पर ही व्यवहारी पर अतिरिक्त कर लगेगा। **(दैनिक भास्कर, 5.8.2015)**

व्यापारियों को वैट में मिलेगी नयी सुविधा

वाणिज्य कर विभाग ने व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए बिहार मूल्य वर्धित कर (वैट) अधिनियम नियमावली में कुछ अहम संशोधन किये हैं। इसमें अब व्यापारी को रिटर्न दायर करने में किसी तरह की अड़चन नहीं आयेगी। पहले व्यापारी चार तरह के ही टैक्स स्लैब (0,1,5,13.5 प्रतिशत) के अंतर्गत ही टैक्स जमा कर सकते थे। अब इसे संशोधित करते हुए कोई व्यापारी अपने सामान के अनुसार टैक्स जमा कर सकते हैं। मसलन, पहले वाली व्यवस्था में तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले व्यापारियों को टैक्स देने में काफी दिक्कत होती थी, क्योंकि तम्बाकू उत्पादों पर 13.5 प्रतिशत से ज्यादा टैक्स लगता है। अब ये आसानी से अपने उत्पाद के मुताबिक टैक्स जमा कर सकते हैं। इस तरह के कई ऐसे सामान हैं। वैट दायर करने में व्यापारियों को सहूलियत होगी। इसके अलावा टैक्स जमा नहीं करने वाले व्यापारियों को ऑनलाइन परमिट नहीं जारी किया जा सकेगा या जारी परमिट को रद्द भी किया जा सकता है। इसके लिए विभाग को संबंधित व्यापारी को एक महीने पहले नोटिस भेजना पड़ेगा। इसके बाद यह कार्रवाई की जायेगी। किसी जुर्माना की स्थिति में तुरंत टैक्स की गणना करके उस पर तीन गुणा तक का जुर्माना किया जा सकता है। पहले टैक्स की गणना करने में काफी दिक्कत होती थी। अब इसे सरल करते हुए अधिकतम खुदरा मूल्य में वस्तु के हिसाब से टैक्स की तय दर के हिसाब से ही फाइन कर दिया जायेगा। व्यापारियों को भी जुर्माना कितना और कैसे हुआ, यह विस्तार से बताया जायेगा।

(साभार : हिन्दुस्तान, 31.7.2015)

व्यापारियों को ईमेल आईडी देना अनिवार्य

राज्य सरकार ने सभी रजिस्टर्ड डीलरों को अपना ई-मेल आइडी देना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा न करने पर अब व्यापारियों का नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। वैसे बड़ी-बड़ी कंपनियों से वाणिज्य कर विभाग ने ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया है। वहीं, विभाग ने पुराने व्यापारियों को भी ई-मेल आईडी देने को कहा है, ताकि परेशानी न हो। वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 2016 से देश में जीएसटी लागू होने की संभावना है। जीएसटी लागू होते ही सभी काम ऑनलाइन हो जाएगा। विभाग व्यापारियों को राहत देने के लिए धीरे-धीरे सभी काम को ऑनलाइन करते जा रहा है। ऐसे में विभाग ने सभी रजिस्टर्ड डीलरों से कम्प्यूटर सीखने का आग्रह किया है।

(साभार: हिन्दुस्तान, 20.7.2015)

व्यापारियों को मिली राहत

राज्य के ढाई लाख व्यापारियों को वाणिज्यकर विभाग ने राहत दे दी है। विभाग ने व्यापारियों के लिए ई-रजिस्ट्रेशन, ई-पेमेंट व रोड परमिट (सुविधा) देने में सुविधा बढा दी है। साथ ही ऑनलाइन सी एण्ड एफ फॉर्म की सुविधा में भी सुधार कर दिया है। 30 जुलाई को 7958 एवं 31 जुलाई को 10, 674 व्यापारियों ने ई-रिटर्न फाइल किया। इसी तरह 30 जुलाई को 12745 एवं 31 जुलाई को 12987 व्यापारियों ने ऑन लाइन रोड परमिट (सुविधा) निकाला। 30 जुलाई को 39 एवं 31 जुलाई को 27 व्यापारियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया।

(साभार : हिन्दुस्तान, 5.8.2015)

ऑनलाइन जमा कर सकेंगे पेशाकर, फार्म 1 भरना होगा

वाणिज्य कर विभाग ने निजी रूप से काम करने वाले लोगों को राहत देने के लिए पेशाकर को भी ऑनलाइन जमा करने की व्यवस्था शुरू कर दी है।

विभाग ने कई बैंकों से टाइअप कर लोगों को सुविधा देना शुरू कर दिया है। इसके लिए उन्हें विभाग में जाकर एक पीटी-1 फार्म जमा करना होगा। विभाग की ओर से उन्हें एक नंबर दिया जाएगा। उसी नंबर के माध्यम से निजी रूप से काम करने वाले लोग ऑनलाइन टैक्स जमा कर पाएंगे। साथ ही पेशाकर मैनुअल भी जमा किया जाएगा। पेशाकर में आने वाले लोग आर 0028001070003 के हेड पर टैक्स जमा कर सकते हैं। यह टैक्स ट्रेजरी चालान के माध्यम से बैंक में जमा होगा। पीटी-1 फार्म के साथ लोगों को अपना पैनकार्ड, पहचान पत्र एवं आवासीय पहचान पत्र एवं फोटो जमा करना होगा।

(साभार : हिन्दुस्तान, 19.7.2015)

प्रॉपर्टी टैक्स भरें, वरना पानी बिजली का कनेक्शन कटेगा

प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान नहीं करने पर पटना नगर निगम अब होल्डिंगधारकों की नागरिक सुविधा बंद करेगा। इसके तहत उनके घर की नाली, सीवर और जलापूर्ति का कनेक्शन काट दिया जाएगा। इसकी शुरुआत पिछले दो-तीन साल से होल्डिंग (प्रॉपर्टी) टैक्स का भुगतान नहीं करनेवाले प्रॉपर्टी धारकों से की जाएगी।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 30.7.2015)

डीसीएलआर को मिला दंड देने का अधिकार

विस में बिहार भूमि विवाद निराकरण (संशोधन) विधेयक, 2015 पर लगी मुहर

जमीन के स्वामित्व को लेकर सरकारी निर्णय न मानने पर डीसीएलआर को दंड देने का अधिकार होगा। विधानसभा में बिहार भूमि विवाद निराकरण (संशोधन) विधेयक, 2015 पर मुहर लगी। विधेयक पेश करते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री नरेन्द्र यादव ने कहा कि इसके प्रभावी होने के बाद गरीबों की जमीन पर कोई दबंग कब्जा नहीं कर सकेगा। वे आगे भी जमीन पर अवैध कब्जा के बारे में नहीं सोचेंगे। इस समय राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे गरीब, पिछड़े लोग हैं जिनकी जमीन पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। सरकार किसी गरीब को वासभूमि देती है तो पता चलता है कि उसे उसपर कब्जा ही नहीं मिल पाया है। डीसीएलआर को दंड का अधिकार देने के बाद ऐसा समस्याओं में कमी आएगी। गरीबों को उनकी जमीन पर कब्जा मिल सकेगा।

(साभार : दैनिक भास्कर, 5.8.2015)

आयकर वापसी के लिए ऑनलाइन रिटर्न जरूरी

आयकर वापसी में ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। बिना ऑनलाइन रिटर्न दाखिल किए आयकरदाताओं को रिफंड नहीं मिलेगा। अगर आयकरदाता को 50 रुपए भी रिफंड मिल रहा है तो वे ऑनलाइन रिटर्न अवश्य दाखिल करें। मैनुअल रिटर्न दाखिल होने पर रिफंड देने में विभाग को काफी वक्त लग जाता था।

दूसरी तरफ व्यापारियों के लिए रिटर्न दाखिल करने का नया फॉर्म विभाग में आ गया है। आयकर विभाग ने निजी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक निर्धारित की है। बिहार में करीब 8 लाख करदाता निजी आयकर विवरणी दाखिल करते हैं। अगस्त के अंतिम सप्ताह में विवरणी जमा करने के लिए लंबी कतारें लगती हैं, इसलिए आयकरदाताओं के रिटर्न जमा करने के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। बैंक रोड स्थित अग्रसेन भवन में आयकरदाताओं के लिए विशेष काउंटर खोले जाएंगे। पिछले साल निजी आयकर विवरणी जमा करने के लिए विभाग ने 15 अतिरिक्त काउंटर खोला था। इस वर्ष 20 अतिरिक्त काउंटर खोले जाएंगे। 5 लाख रूपए से ऊपर का ऑनलाइन रिटर्न फाइल अनिवार्य होगा। ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने के बाद आयकरदाताओं को अभी विवरणी का एक पेपर बेंगलुरू भेजना पड़ता है, लेकिन डिजिटल सिग्नेचर तैयार हो जाने के बाद अगले साल से पेपर बेंगलुरु नहीं भेजना पड़ेगा।

(साभार : हिन्दुस्तान, 5.8.2015)

नई संपत्ति खरीदी है तो शुल्क दें वरना जुर्माना

अगर आपने नया फ्लैट, जमीन मकान या दुकान खरीदी है तो तुरंत उसका होल्डिंग (संपत्ति) का आकलन कर शुल्क जमा करा दें। नहीं तो खरीद के तीन महीने (90 दिन) बीतने पर पटना नगर निगम दो हजार रुपए जुर्माना वसूलेगा। हर माह की देरी पर कुल राशि पर डेढ़ से दो प्रतिशत का ब्याज भी लगेगा।

निगम के उपनगर आयुक्त (राजस्व) राजीव रंजन ने बताया कि शहर में सैकड़ों नए जमीन भवन, दुकान व फ्लैटों की खरीद-बिक्री हो रही है। लेकिन इनके मालिक नई संपत्ति पर टैक्स देने में उदासीनता बरत रहे हैं। ऐसे जमीन मालिक तीन माह के भीतर प्रॉपर्टी टैक्स सुविधा काउंटरों पर जमा करा दें। (विस्तृत : हिन्दुस्तान, 27.7.2015)

22 साल बाद.... प्रॉपर्टी टैक्स 15 फीसदी बढ़ाने की तैयारी

नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्र में रहना अब महंगा होगा। आवासीय और गैर आवासीय दोनों के प्रोपर्टी टैक्स में 15 प्रतिशत की वृद्धि होने वाली है। बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 में प्रावधान है कि यदि पाँच साल तक वार्षिक किराया मूल्य में वृद्धि नहीं हुई है। तो न्यूनतम 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने सभी नगर निकायों को अधिनियम का पालन करने का निर्देश दिया है। प्रोपर्टी टैक्स में 22 साल बाद वृद्धि हो रही है। 1993 के बाद इसमें वृद्धि नहीं हुई है। दो साल पहले दोगुनी वृद्धि की गई थी। बहुत लोगों ने बढ़ी दर से टैक्स जमा किया भी, लेकिन काफी विरोध होने के बाद उसे वापस ले लिया गया। जिन लोगों ने बढ़ी दर से टैक्स जमा किया था उसका एडजस्टमेंट किया गया।

नगर निगम क्षेत्र में सड़कों के आधार पर प्रोपर्टी टैक्स की दर तय की जाती है। प्रधान मुख्य सड़क, मुख्य सड़क और अन्य सड़क के आधार पर 18 रुपए प्रति वर्ग फीट, 12 रुपए प्रतिवर्ग फीट और 6 रुपए प्रतिवर्ग फीट के हिसाब से आवासीय क्षेत्र का टैक्स लिया जाता है।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 24.7.2015)

'हुनर' सीख महिलाएं बदल रही किस्मत

• बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से महिलाओं को दिया जा रहा मुफ्त कौशल प्रशिक्षण • सिलाई-कढ़ाई के साथ कम्प्यूटर शिक्षा का भी मिल रहा ज्ञान

कम्प्यूटर प्रशिक्षण ग्रहण करती महिलाएँ।

कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। दुष्यंत की यह आत्मविश्वास बढ़ाने वाली कविता गाँधी मैदान के समीप बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स परिसर में साकार हो रही है। मुफ्त कौशल विकास प्रशिक्षण लेकर अभी तक 500 से अधिक महिलाओं ने अपनी किस्मत बदल दी है। वे अब आत्मनिर्भर हैं। तकनीक को सीखकर खुद पैसे कमा रही हैं। जब जागरण की टीम यहाँ पहुँची तो चालीस से अधिक महिलाएं व लड़कियां हुनर सीखने में व्यस्त दिखीं। कोई कपड़ों की सिलाई कर उसे नया रूप देने में व्यस्त थीं तो किसी के हाथ कम्पयूटर के माउस पर क्लिक कर रहे थे।

आत्मनिर्भर बनाने की सराहनीय पहल : बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के कौशल विकास उप-समिति के चेयरमैन मुकेश कुमार जैन ने बताया कि घरेलू महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह पहल की जा रही है। कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए फरवरी 2014 को प्रशिक्षण केन्द्र की नींव डाली गई थी। जहाँ पहले सिलाई, कटाई, बुनाई एवं मेहंदी सिखाने का प्रशिक्षण दिया गया था। अप्रैल 2015 में मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कम्पयूटर प्रशिक्षण केन्द्र का उद्घाटन किया।

महिलाओं ने सुनाई आपबीती : दो माह से प्रशिक्षण प्राप्त कर रही रुबी कहती हैं, औरों की तरह मैं भी अपना काम शुरू करना चाहती हूँ जिससे खुद एवं घर की जिम्मेदारी को उठा सकूं। एप्लिक का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही दानापुर की पूजा एवं मनेर की रोशनी बताती हैं कि कुछ कर गुजरने का दम हो तो दूरियां भी कम पड़ जाती है। कुछ सीखकर अगर अपने पैरों पर खड़ी होती हूँ तो घर एवं परिवार वालों को भी गर्व महसूस होगा। पूजा कहती है कि समय पर आकर प्रतिदिन प्रशिक्षण प्राप्त करती हूँ ताकि जल्द अपना रोजगार कर सकूं।

कम्प्यूटर की जानकारी बेहद जरूरी : कंकड़बाग की 56 वर्षीय सुरेन्द्र कौर कहती हैं कि सिखने की कोई उम्र नहीं होती। मेरे बच्चे बाहर रहते हैं और कम्प्यूटर पर बात करना चाहते हैं, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आता था इसलिए मैंने कुछ सीखने का फैसला लिया और यहाँ चली आई।

बिना पैसे मिल रही हर जानकारी : कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थान की प्रशिक्षिका ममता एवं दुर्गा बनर्जी बताती हैं कि यहाँ पर महिलाओं को कपड़े की सिलाई, कढ़ाई, मेंहदी लगाना, क्विल्ट बैग बनाना, टिकुली आर्ट एवं कम्पयूटर की शिक्षा नि:शुल्क दी जाती है। प्रशिक्षिका ममता कहती हैं, हर कोर्स के लिए तीन माह की अवधि निर्धारित की गई है जो दो शिफ्टों में चलती है। दुर्गा ने कहा कि आर्थिक एवं कमजोर स्तर के महिलाओं के लिए अच्छा विकल्प है जिसके द्वारा कई महिलाएं यहाँ से सिख कर अपना रोजगार कर रही हैं। सावन माह में विशेष रूप से मेंहदी लगाने का काम सिखाया जाता है जिसे जानकर कई महिलाएँ तुरंत इसका लाभ उठा सकती हैं।

सीखने एवं सीखाने के लिए है महिलाएं : बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स के चेयरमैन मुकेश कुमार जैन ने बताया कि संस्था में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं कराने वाली दोनों ही महिलाएं हैं।

दिया जाता है प्रमाण पत्र : बिहार चैम्बर के कौशल विकास उप समिति के चेयरमैन मुकेश जैन ने बताया कि बीते साल से अभी तक 500 से ज्यादा महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना व्यवसाय आरम्भ कर चुकी हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं को संस्था द्वारा प्रमाण पत्र एवं सिलाई मशीन जैसे उपकरण मुहैया कराए जा चुके हैं। कुछ महिलाएं खुद अपना ग्रुप बनाकर औरों को भी व्यवसाय से जोड़कर आत्मनिर्भर बना रही हैं। जैन ने बताया कि आज बड़े-बड़े अपार्टमेंट में रहने वाले लोग कपड़े की छोटी-मोटी सिलाई के लिए दर्जी के पास जाते हैं। ऐसे में जानकारी मिलने पर ये महिलाएं घरों में जाकर भी सिलाई करती हैं।

(साभार : दैनिक जागरण, 19.7.2015)

महिलाओं के नाम से संपत्ति निबंधन पर 5% छूट

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की 23.7.2015 को हुई बैठक में महिला सशक्तीकरण नीति 2015 के तहत एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इसके तहत महिलाओं के पक्ष में होने वाले दस्तावेज के निबंधन में लगने वाले स्टांप ड्यूटी व निबंधन शुल्क में पांच प्रतिशत की छूट मिलेगी।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 24.7.2015)

समस्या का अब एक कॉल पर समाधान

सुविधा : नगर सेवाओं के लिए जारी किया टोल फ्री नंबर

सफाई, कचरा उठाव, स्ट्रीट लाइट, पानी की सप्लाई.... आदि से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए नंबर जारी हुआ

ऐसे काम करेगा यह नंबर : आप टोल फ्री नंबर पर फोन करेंगो तो कॉल सेंटर में बात होगी। वहाँ आपकी शिकायत दर्ज होगी और एक नंबर दिया जाएगा। समस्था का समाधान कब तक होगा। इसकी जानकारी उसी समय बता दी जाएगी। हालांकि अभी यह टोल फ्री अभी काम नहीं कर रहा है। उम्मीद है कि जल्द चालू हो जाएगा।

पटना नगर निगम कंट्रोल रूम का नंबर : 0612-3261372, 0612-3261373, 0612-2911135, 0162-3054108, विभाग का नया टोल फ्री नंबर 18001214554 नगर सेवा हेल्पलाइन का नंबर 0612-3095555

समय : सुबह आठ से सत आठ बजे तक

इन सेवाओं के लिए टोल फ्री नंम्बर : जलापूर्ति, कचरा उठाव। साफ-सफाई, अतिक्रमण होल्डिंग टैक्स, जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र, स्ट्रीट लाईट, योजना, पेशन और लोन, प्रशिक्षण संबंधी, बीपीएल लिस्ट लाइसेंस, नवशा पास कराना, आवारा जानवरों के संबंध में....आदि।

कॉल पर कार्रवाई नहीं करने वाले कर्मचारी पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

राज्यभर के लिए काम करेगा यह नंबर

"नगर सेवा का टोल फ्री नंबर फंक्शनल है। प्रचार-प्रसार के लिए जारी किया गया है। यह राज्य भर के लिए काम करेगा। हमारी कोशिश है कि व्यवस्था में सुधार हो। अगर शिकायत के बाद लोगों को अच्छा रिस्पांस नहीं मिला तो दोषी अधिकारी-कर्मचारी पर कार्रवाई की जाएगी।"

– **अमृत लाल मीणा,** प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 29.7.2015)

निबंधित बिल्डर ही बना सकेंगे अपार्टमेंट

अब निगम क्षेत्र में निबंधित बिल्डर ही अपार्टमेंट बना सकेंगे। इसको लेकर नयी बिल्डिंग बायलॉज में नयी व्यवस्था की गयी है। इस नयी व्यवस्था के तहत बिल्डरों को नगर निगम में निबंधित होना पड़ेगा। तभी वे अपार्टमेंट व व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स की निर्माण कर सकेंगे। निगम प्रशासन ने बिल्डरों की निबंधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। निर्धारित शुल्कों व समुचित कागजात के साथ बिल्डरों के लिए निबंधित कराने की सूचना प्रकाशित की गयी है।

दरअसल पिछले दिनों बिल्डरों द्वारा बिल्डिंग बायलॉज का धड़ल्ले से उल्लंघन करने की शिकायत मिली थी। भूखंड का नक्शा पास करा कर बिल्डर अपार्टमेंट या व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बना ले रहे थे। इसी की वजह से नयी व्यवस्था लागू की जा रही है।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 4.8.2015)

शेखपुरा-दानापुर तीसरी रेललाइन जल्द बने

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के समक्ष बातों-बातों में कई मांगे रखी और वहीं केन्द्र सरकार की ओर से विकास की योजनाओं में बरती जा रही सुस्ती को भी बताया। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार बिहार आने पर नीतीश कुमार ने राज्य सरकार और बिहार के लोगों की ओर से नरेन्द्र मोदी का स्वागत किया। नीतीश कुमार ने दनियावां-बिहारशरीफ नई रेललाइन के शुभारभ करने के लिए धन्यवाद दिया। कहा, शेखपुरा- बिहारशरीफ-दनियावां-नेउरा रेललाइन जल्द बने, ताकि शेखपुरा से दानापुर तक तीसरी रेललाइन बन जाए। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ही उक्त लाइन की मंजूरी मिली थी।

नीतीश ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि पटना आईआईटी में कुछ ही विषयों की पढ़ाई हो रही है। आईआईटी के लिए राज्य सरकार ने 500 एकड़ जमीन दी है। लंबा चौड़ा परिसर है। इसमें एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू होनी चाहिए। जल-विज्ञान की पढ़ाई हो। प्योर साइंस की पढ़ाई होनी चाहिए। आईआईटी भवन भूकंपरोधी होनी चाहिए। गैस पाइपलाइन बिहार में बिछाने के जिस काम का आपने शुभारंभ किया है। उससे राज्य के 63 फीसदी आबादी लाभान्वित नहीं होगी।

(साभार : दैनिक भास्कर, 26.7.2015)

फुटपाथी दुकानदारों के लिये सर्पेटाइन रोड में बनेगा वेंडिंग जोन

बोरिंग रोड इलाके में सड़क किनारे बने दुकानों को सर्पेंटाइन रोड में स्थानांतरित किया जायेगा। इसके लिये नूतन राजधानी अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी ने प्रस्ताव तैयार कर नगर आयुक्त को सौंपेंगे। नगर आयुक्त इस रिपोर्ट की जांच करने के बाद नगर विकास विभाग के पास भेजेंगे ताकि किसी तरह की समस्या नहीं हो। नगर विकास एवं आवास विभाग ने नासवी संस्था को राजधानी के वेंडरों को चिन्हित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उसने कुछ इलाकों में अपना काम पूरा कर रिपोर्ट विभाग को भेज दी है। नगर निगम विभाग से वह सूची हासिल करेगा। चिन्हित वेंडरों को नगर निगम की तरफ से परिचय पत्र जारी किया जाएगा। **(विस्तृत : आज, 3.8.2015)**

विज्ञापन पर टैक्स और जुर्माना वसूलने पर रोक

विज्ञापन पर टैक्स व जुर्माना वसूलने से हाईकोर्ट ने पटना नगर निगम को रोक दिया है। अदालत ने अगले आदेश तक विज्ञापन से किसी प्रकार का टैक्स एवं जुर्माना नहीं लेने का आदेश दिया है। अदालत ने राज्य सरकार सहित नगर निगम को व्यापक जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। मामले पर अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी। न्यायमूर्ति नवनीति प्रसाद सिंह व न्यायमूर्ति नीलू अग्रवाल की खंडपीठ ने दो अलग-अलग मामले पर एक साथ सुनवाई कर यह आदेश दिया। आवेदकों की ओर से अदालत को बताया गया कि नगर निगम को विज्ञापन से टैक्स एवं जुर्माना वसूलने का अधिकार नहीं है। उनका कहना था कि विज्ञापन से टैक्स लेने के लिए निगम को नियमन बनाना था। यहाँ तक कि टैक्स भुगतान एवं वसुली सुनिश्चित करने के लिए रेगुलेशन बनाना था। लेकिन, निगम ने रेगुलेशन बनाया ही नहीं और टैक्स की वसूली एवं जुर्माना लगाने का काम करने लगा। वहीं निगम के वकील का कहना था कि सशक्त स्थायी समिति ने विज्ञापन पर टैक्स लगाने के लिए रेट तय की और निगम के आयुक्त के आदेश से अधिसूचित किया गया।

(साभार : हिन्दुस्तान, 25.7.2015)

पटना को अपने बूते राज्य सरकार बनाएगी स्मार्ट

पटना में नागरिक सुविधाओं के लिए 17 करोड़ रुपए आवंटित

केन्द्र की स्मार्ट सिटी योजना में अगर पटना शामिल नहीं भी होगा तो भी इसे स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। राज्य सरकार अपने संसाधनों से इसे स्मार्ट बनाएगी। प्रारंभिक दौर में पटना की साफ-सफाई और नागरिक सुविधाओं के लिए 17 करोड़ रुपए आवंटित भी कर दिए गए हैं। ये बातें नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव अमृतलाल मीणा ने कही।

उन्होंने माना कि केन्द्र सरकार ने स्मार्ट सिटी के लिए जो मानक तय किया था उसमें पटना अन्य शहरों से काफी पीछे रह गया है। जिन 15 नागरिक सुविधाओं के आधार पर चयन के लिए अंक मिलना था पटना को सिर्फ 25 अंक मिले हैं। जबकि बिहार के चयनित शहर मुजफ़्फरपुर, भागलपुर और बिहारशरीफ इससे काफी आगे निकल गए हैं। प्रधान सचिव ने बताया कि स्मार्ट सिटी को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक होगी। पहले तो पटना को स्मार्ट सिटी योजना में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। अगर शामिल नहीं हुआ तो राज्य सरकर अपने संसाधनों से इसे स्मार्ट बनाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही कह दिया है कि 11 नगर निकायों को चयनित तीन स्मार्ट सिटी के बराबर ही राशि राज्य सरकार से मिलेगी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 29.7.2015)

किश्तों में अदा कर सकेंगे होल्डिंग टैक्स

पटना के बड़े-बड़े होल्डिंगधारक अपने होल्डिंग टैक्स का भुगतान जल्द ही किश्तों में कर सकेंगे। पटना नगर निगम इसके लिए ऑनलाइन टैक्स जमा प्रणाली के सॉफ्टवेयर में सुधार करने जा रहा है। अभी निगम के सॉफ्टवेयर में बकाया राशि एकमुश्त जमा करने का ही विकल्प है। राशि कम पड़ने पर टैक्स जमा नहीं हो पाता है।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 4.8.2015)

छोटे उद्यमियों को बिना जमानत पूंजी देगा मुद्रा कार्ड

- **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ने किया लांच**
- **एमएसएमई उद्यमी बिना जमानत ले सकेंगे 10 लाख रु. तक का ऋण**

फल-सब्जी विक्रेताओं सहित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्यमियों (एमएसएमई) को अपना व्यवसाय बढ़ाने में अब पूंजी आड़े नहीं आएगी। मुद्रा कार्ड उनकी मुश्किल दूर करेगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के जरिए अब इसे हासिल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री सामाजिक सुरक्षा के तहत इसे जारी किया जा रहा है। उक्त बातें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राजीव ऋषि ने कहीं। वे मुद्रा कार्ड लांचिंग समारोह को संबोधित कर रहे थे।

कहा कि हमारे बैंक की ताकत छोटे ग्राहक हैं। हम इनका भरोसा नहीं तोड़ सकते हैं। 104 साल का यह बैंक देश के हर कोने में हाजिर है। मुद्रा बैक के अध्यक्ष छात्रपति शिवाजी ने कहा कि 45 फीसद लोग लघु उद्यम से ही जुड़े हैं। मुद्रा कार्ड से यह कभी भी, कहीं भी पैसे की निकासी कर सकेंगे। इस पहल से आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोग मुख्य धारा में आ सकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक मनोज कुमार वर्मा ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में लघु इकाइयों का महत्वपूर्ण योगदान है। देश में डेढ़ करोड़ बड़े उद्योग हैं, जबकि साढे तेरह करोड़ लघु इकाइयां है। लघु क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं भी व्यापक हैं। मुद्रा कार्ड से यह सेक्टर और मजबूत होगा। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव आलोक टंडन ने कहा कि किसानों के साथ ही गैर कृषि तबका भी इसका लाभ ले सकेगा।

मुद्रा कार्ड के फायदे : • 10 लाख की पूंजी बिना जमानत ले सकेंगे उद्यमी • यह डेविड कार्ड जैसे होगा, किसी भी एटीएम से निकासी हो सकेगी • एक बार में अधिकतम निकासी 20 हजार रुपये होगी • 18 साल की आयु और कौशल विकास से जुड़े लोग होंगे हकदार • मेन्युफेक्चरिंग, ट्रेडिंग के साथ ही सर्विस सेक्टर से भी जुड़े उद्यमी होंगे लाभान्वित। **(साभार : दैनिक जागरण, 17.7.2015)**

राजन, पहले बैंक कर्मियों को तो नोट पर लिखने से रोकिए

तीन दिन पहले ही आरबीआई ने नोट पर न लिखने की अपील की है। आरबीआई ऐसे ही प्रयास बीते 15 सालों से लगातार कर रहा है। लेकिन क्या गवर्नर रघुराम राजन नोटों पर लिखने वाले बैंक कर्मियों को रोक पाएंगे? नोटों को लेकर हाल ही में तीन डेवलेपमेंट हुए हैं। जानिए इन्हें.....

जबकि सबसे सुंदर हमारे नोट : आरबीआई ने क्लीन नोट पॉलिसी 2001 में जारी की। ताकि लोग नोट पर न लिखें और न स्टैपल करें। आज 95% नोटों पर स्टैपलिंग नहीं है लेकिन लिखना तो खुद सभी बैंक कर्मियों ने भी नहीं छोड़ा है। करंसी मार्केट में हमारी करंसी सबसे खूबसूरत और ग्रेसफुल मानी जाती है। दूसरे देशों की करंसी में बहुत सारे रंग हैं या उनका आकार परफेक्ट नहीं है।

73 अरब नोट मार्च 2013 में ऐसे थे, जिन पर लिखा हुआ था या स्टेपल था। इनकी कुल वैल्यू 1160 करोड़ रु. थी। 2012 में 14 अरब बैंक नोट नष्ट किए गए थे। नोट के वॉटरमार्क वाले हिस्से में लिखे जाने के बाद मशीन इसे रिजेक्ट कर देती है। **वॉटरमार्क एक मुख्य सिक्योरिटी फीचर है।**

नोट बदलने में फेल हुए बैंक : 2005 के पहले के नोट बदलने की समय सीमा फिर बढ़ा कर 31 दिसम्बर 2015 कर दी गई है। इससे पहले अंतिम तिथि

1 जनवरी और 30 जून भी निकल चुकी है। रिजर्व बैंक व्यावहारिक परेशानियों के कारण इसे लागू नहीं करा पाया।

आरबीआई के अनुसार ऐसी नोटों को बैंकों में बदलना इसलिए जरूरी है **क्योंकि 2005 से पहले छपे नोटों में सिक्योरिटी फीचर्स कम हैं, जबकि इसके बाद छपे नोट ज्यादा सुरक्षित हैं।**

164 करोड़ नोट 2005 के पहले के छपे हुए जनवरी तक पिछले 13 महीनों में आरबीआई को मिले हैं। इन सभी नोटों की कुल फेस वैल्यू 21,750 करोड़ रुपए है।

.....इस बीच एक अच्छी खबर

पहली बार भारतीय कागज पर नोट : लंबे संघर्ष के बाद देश में ही करंसी पेपर बनने से अब सरकार हर साल करीब 1500 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा के रूप में बचाएगी। वित्त वर्ष 2013-14 में नोटों के लिए आयात कागज पर 1688.21 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे।

500-1000 के नोट देश में ही बने कागज पर छपेंगे। पहले हम ये कागज नहीं बना पाते थे। **इन्हें करीब 46 साल से जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन से आयात करना पड़ता था। 1.14 रु. खर्च होते हैं एक रु. का एक नोट छापने में। 2012 में 1000 का नोट 3.17रु. में छप रहा था।** (साभार : दैनिक भास्कर, 16.7.2015)

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़ 1937 (श.)

(सं. पटना 841) पटना, बुधवार, 22 जुलाई 2015

सं. 02/उ नि / नियोजन अनुदान-3-125 / 14-1200

उद्योग विभाग

संकल्प

3 जुलाई 2015

विषय: - औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के अन्तर्गत अनुदान की प्रक्रिया निर्धारण हेतु निर्गत संकल्प ज्ञापांक 2437 दिनांक 15.7.2011 (जो संकल्प ज्ञापांक 984 दिनांक 11.06.2015 के द्वारा संशोधित किया जा चुका है) में संशोधन के संबंध में।

1. उक्त संकल्प ज्ञापांक 2437 दिनांक 15.7.2011 की कंडिका-17 (ख) के बाद निम्न प्रकार से एक नई उप कंडिका -17 (ग) अन्त: स्थापित की जाएगी :

"17 (ग) :- औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार-2011 की कंडिका-4 (iii) नियोजन (रोजगार सृजन अनुदान) के अन्तर्गत किसी औद्योगिक इकाई द्वारा इस नीति के लागू होने के पश्चात् अगर कम-से-कम 100 (एक सौ) प्रत्यक्ष नियोजन (Direct Emloyment) सृजित (Generate) किया जाता हो, तो उन्हें उनके नियोजन की तिथि से 1(एक) वर्ष तक उनके नए कर्मचारियों (Employees) को जो ई.पी.एफ. (EPF) की राशि इकाई द्वारा भुगतान की जायेगी, उसके समतुल्य प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।

प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति विभागीय आदेश ज्ञापांक 2443 दिनांक 15.07.2011 द्वारा गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। विभागीय आदेश ज्ञापांक 2443 दिनांक 15.07.2011 एवं संकल्प ज्ञापांक 2437 दिनांक 15.07.2011 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।"

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

(ह.) अस्पष्ट,

सरकार के प्रधान सचिव।

उद्योग के लिए मिली जमीन पर दूसरा काम करने वालों पर होगी कार्रवाई

उद्योग तथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्याम रजक ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक प्रयोजनों के लिए आवंटित भूखण्ड का उपयोग नहीं करने वाले आवंटियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वैसे लोगों पर प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी।

श्री रजक ने कहा कि इस सिलसिले में मुख्यालय स्तर से उद्योग विभाग तथा बियाडा की संयुक्त टीम गठित कर सभी प्लॉटों का भौतिक निरीक्षण किया जाएगा। मंत्री ने उद्योग विभाग के सचिवालय स्थित कक्ष में उद्योग विभाग तथा बियाडा के अधिकारियों के साथ औद्योगिक प्रायोजन के उद्देश्य से आवंटित भूखण्ड की समीक्षा की। निर्णय लिया गया कि मुख्यालय स्तर से गठित संयुक्त टीम पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र के सभी भूखण्डों का भौतिक निरीक्षण कर तीन दिन में मुख्यालय प्रतिवेदन देगी। इसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पाया गया कि औद्योगिक क्षेत्र में कई भूखण्ड का आवंटन औद्योगिक प्रयोजनों से करा लिया गया है, जबकि उसका उपयोग दूसरे कार्यों में किया जा रहा है। (साभार : राष्ट्रीय सहारा, 31.7.2015)

इसी माह शुरू होगा पटना हाट

हस्तशिल्प का बाजार : दुकानों के आवंटन को लेकर शिल्पी देने लगे आवेदन

वेबसाइट पर मिल रही जानकारी

uminstitule@ gmail. comindustries. bih.nic.in पर जानकारी एवं आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं शिल्पी।

शिल्पकारों का इंतजार खत्म होने वाला है। दिल्ली हाट के तर्ज पर उपेन्द्र महारथी शिल्प संस्थान में बनने वाले पटना हाट का निर्माण अंतिम चरण में है। अधिकारियों की मानें तो जुलाई के अंत तक इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। पटना हाट शुरू हो जाने के बाद शिल्पकारों को कलाकृतियों की बिक्री के लिए मेले व विशेष आयोजन के भरोसे नहीं रहना होगा। अब उनके लिए एक तय बाजार होगा जहाँ सालो भर हस्तशिल्प के सामान की बिक्री होगी।

बनाई जा रहीं 25 दुकानें : पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र स्थित उपेन्द्र महारथी शिल्प संस्थान के परिसर में छह माह से निर्माण कार्य चल रहा है। पटना हाट के तहत 25 दुकानों का निर्माण हो रहा है। संस्थान के उपनिदेशक अशोक कुमार सिन्हा ने बताया कि 2.42 लाख की लागत से बन रही दुकानें संभवत: इस माह में शुरू हो जाएंगी।

प्रतिमाह देने होंगे 1500 रुपये : शिल्पकारों को मिलने वाले स्टॉल के लिए प्रतिमाह 1500 रुपये संस्थान को देने होंगे। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन के समय विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें दुकानों की साफ सफाई से लेकर रखरखाव का भी ध्यान शिल्पकारों को रखना होगा। शिल्प संस्थान परिसर में बन रहे दुकानों को शिल्पकारों को देने के लिए संस्था ने अपने वेबसाइट पर सारी जानकारी मुहैया कर दी है। आवेदन पत्र को भरने एवं जमा करने के लिए संस्था ने ईमेल की भी सुविधा उपलब्ध करायी है। (दैनिक जागरण, 17.7.2015)

नोट : दिनांक 5 अगस्त 2015 को माननीय मुख्यमंत्री के कर-कमलों द्वारा पटना हाट का उद्घाटन हो चुका है।

बिहार के खाजा और सत्तू का स्वाद जानेगी दुनिया

भारत के 12 पारंपरिक व्यंजन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेश किए जाएंगे। इनमें बिहार का खाजा, सत्तू और अनरसा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम' मेक इन इंडिया' से उत्साहित सरकार पारंपरिक व्यंजनों को दुनिया भर में पेश करने की तैयारी में है।

उत्तर भारत की पारंपरिक भारतीय मिठाई घेवर और दक्षिण भारत की हैदरबादी बिरयानी को विभिन्न राज्यों की उन 12 परंपरागत व्यंजनों में चुना गया है, जिन्हें 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के अंतर्गत दुनिया भर में पेश किया जाएगा। इन व्यंजनों में उत्तर प्रदेश का कबाब और महाराष्ट्र की 'पूरन पोली' भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने इन व्यंजनों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की मुहिम शुरू की है।

ये व्यंजन भी हैं शामिल : जिन अन्य व्यंजनों को दुनिया भर में पेश करने के लिए चुना गया है उनमें कश्मीर का' गुश्ताबा', पजाब की 'चिकन करी',गुजरात के 'खाखरा' और 'खांडवी', दक्षिण भारत की 'बैंबू स्टीम फिश', 'वड़ा' और 'मेदु वडा' भी शामिल हैं। (साभार : हिन्दुस्तान, 4.8.2015)

उद्यम लगा शिक्षा ऋण में छूट पाएं

मेक इन इंडिया के तहत स्थानीय उद्यमिता और निर्माण को बढ़ावा देने की तैयारी

ऋण लेकर शिक्षा हासिल करने वाले नया उद्यम लगाने के इच्छुक युवाओं को जल्द बैंकों से बड़ा समर्थन मिलेगा। आने वाले दिनों में उन्हें शिक्षा ऋण चुकाए बिना ही उद्यम के लिए कर्ज मिलेगा।

प्रस्ताव : • केन्द्र सरकार ने मेक इन इंडिया अभियान के तहत तैयार किया प्रस्ताव • स्थानीय उद्यमिता और निर्माण के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करेगी सरकार • शिक्षा ऋण चुकाने में पढ़ाई पूरी होने के बाद बैंक तय करेंगे छूट का प्रारूप • उद्योग के लिए ऋण की मांग करने वालों को अपनी योजना रिपोर्ट देनी होगी।

मामले-दर-मामले पर होगा विचार : शिक्षा ऋण चुकाने में पढ़ाई पूरी होने के बाद छूट देना बैंक तय करेंगे। जो प्रत्येक मामले में स्थितियों और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दिया जाएगा। नहीं तो आवेदनों की फेहरिस्त बहुत लंबी ही जाएगी। शिक्षा ऋण के बाद उद्योग के लिए ऋण की मांग करने वालों को अपनी योजना की पूरी रिपोर्ट देनी होगी। जिस पर विचार-विमर्श के बाद ही ऋण को मंजूरी दी जाएगी।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 24.7.2015)

सूबे के औद्योगिक माहौल का अध्ययन करेगा सिंगापुर विवि

बिहार में औद्योगिक माहौल को और बेहतर कैसे किया जाए, इसका अध्ययन सिंगापुर का एक विश्वविद्यालय करेगा। उद्योग विभाग ने सिंगापुर विश्वविद्यालय से इसके लिए करार किया है। इस काम में कॉन्फेडेरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) बिहार भी सहयोग करेगी।

"सरकार की कोशिश है कि बिहार में उद्योगों का जाल बिछे। इसके लिए सिंगापुर विवि से करार किया गया है। स्टडी रिपोर्ट में सिंगापुर विवि यह बताएगा कि बिहार में कैसे और आसानी से व्यवसाय हो तथा नई यूनिट लगे।

–**त्रिपुरारि शरण**, प्रधान सचिव, उद्योग विभाग

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 31.7.2015)

अगले साल से स्किल डेवलपमेंट में पीएचडी

सीआईएमपी : शुरू हो गई स्किल डेवलपमेंट की पढ़ाई, देश के सभी मैनेजमेंट संस्थानों को छोड़ा पीछे

चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना (सीआईएमपी) देश का पहला मैनेजमेंट संस्थान बन गया है, जहाँ स्किल डेवलपमेंट की पढ़ाई शुरू हो गई है। अगले साल से यहाँ स्किल डेवलपमेंट में पीएचडी प्रोग्राम भी शुरू करने की तैयारी है। इस तरह सीआईएमपी ने देश के आईआईएम अहमदाबाद सहित सभी टॉप मैनेजमेंट संस्थानों को पीछे छोड़ दिया है। आईआईएम इंदौर ने अब इस पाठ्यक्रम की प्लानिंग शुरू की है। (विस्तृत : दैनिक भास्कर, 5.8.2015)

बिजली नहीं होगी महंगी, मिली राहत

बिजली दर बढ़ाने की याचिका को बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने खारिज कर दिया है। यानी बिजली दर नहीं बढ़ेगी। आयोग के इस फैसले से सूबे के 54 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिली है। मार्च में आयोग ने बिजली दर पर जो फैसला दिया था, उस पर बिजली कंपनी ने सवाल उठाए थे और समीक्षा याचिका दायर की थी। बीते 16 मार्च को आयोग ने एक अप्रैल से प्रभावी बिजली दरों की घोषणा की थी। नई दर आने के बाद कंपनी ने उसकी समीक्षा की। कंपनी के अनुसार, आयोग ने राज्य में बिजली की उपलब्धता व जरूरत का गलत आकलन किया है। कंपनी के कर्मियों पर होने वाले खर्च व पूंजीगत खर्च का भी सही तरीके से आकलन नहीं किया गया है। कंपनी ने यह भी पाया कि मिलने वाले कर्ज पर ब्याज का सही तरीके से आकलन नहीं हुआ और हिस्सेदारी में जो कंपनी को लाभ मिलेगा। उसका आकलन अधिक कर दिया गया।

कंपनी की समीझा याचिका पर 29 मई व 18 जून को सुनवाई हुई, जिस पर अब फैसला आया है। आयोग ने याचिका खारिज करने वाले अपने फैसले में साफ कर दिया है कि कंपनी ने कोई नई जानकारी नहीं रखी है, इसलिए उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जा सकता है। इस फैसले से न सिर्फ शहरी उपभोक्ताओं को फायदा होगा, बल्कि किसानों और ग्रामीण उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा।

"बिजली कंपनियों ने आयोग के समझ कोई नया तथ्य नहीं लाया था। बिजली कंपनी की आपत्ति सही नहीं थी, इसलिए कंपनी की याचिका खारिज की गई है। –**उमेश नारायण पंजियार**, अध्यक्ष, बिहार विद्युत विनियामक आयोग

राज्य में बिजली की मौजूदा टैरिफ (रुपए में)

शहरी क्षेत्र (घरेलू)		ग्रामीण इलाका (घरेलू)	
यूनिट	**एक अप्रैल से**	**यूनिट**	**एक अप्रैल से**
1-100	3.00	0-50	2.10
101-200	3.65	51-100	2.40
201-300	4.35	100 से ऊपर	2.80
300 से अधिक	5.45	बिना मीटर के	170

(विस्तृत : हिन्दुस्तान 17.7.2015)

बिजली उपभोक्ताओं को भी भरना होगा केवाईसी

बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कंपनी के प्रस्ताव नो यूओर कंज्यूमर (केवाईसी) को मंजूरी दे दी है। 31 अगस्त तक अगर उपभोक्ता तय परफॉर्मा में अपनी पूरी जानकारी देंगे तो उन्हें पाँच रुपए की छूट मिलेगी। यह व्यवस्था पूरे बिहार में लागू होगी।

आयोग के समक्ष यह प्रस्ताव साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की ओर से गया था। 25 जून को इस पर सुनवाई हुई और अब निर्णय आया है। दरअसल, बिजली कंपनी ने जब उपभोक्ताओं का डाटा कलेक्ट करना शुरू किया तो एक साल के बाद भी कुछ लाख लोगों का ही डाटा कलेक्ट हो सका है। वैसे केवाईसी भरने पर पाँच रुपए की छूट 31 अगस्त ही मिलेगी। आयोग ने कंपनी को यह भी कहा है कि वह नए कनेक्शन देते समय इस तरह की तमाम जानकारी ले।

सुविधा : • विनियामक आयोग की बिजली कंपनी के प्रस्ताव पर मुहर • 31 अगस्त तक केवाईसी सी देने पर पाँच रुपए की मिलेगी छूट।

देनी होगी 13 जानकारी : प्रमंडल का नाम, उपभोक्ता का नाम व नंबर, पिता या पति, लैंडमार्क सहित पूरा पता, परिचय पत्र का विवरण, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, उपभोक्ता की श्रेणी, स्वीकृत लोड, रूट, पोल व ट्रांसफॉर्मर स्थल की जानकारी।

होगा लाभ : संपर्क नंबर, ई-मेल नंबर या सही पता होने पर लोगों को समय पर बिजली बिल मिल सकता है। कंपनी की ओर से समस-समय पर लाई जाने वाली योजनाओं की जानकारी एसएमएस या ई-मेल पर मिल जाएगी। (हिन्दुस्तान, 17.7.2015)

पटना-दीघा ट्रैक पर फोरलेन सड़क जल्द

पटना-दीघा रेललाइन की जमीन पर फोरलेन सड़क बनने का रास्ता साफ हो गया है। संभावना है विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। **फोरलेन बनने के फायदे :** • पटना शहर की ट्रैफिक स्मूथ होगी • बेली रोड और बोरिंग रोड पर वाहनों का दबाव कम होगा • लोगों को सचिवालय आने-जाने में परेशानी नहीं होगी • आर ब्लॉक, हड़ताली मोड़ व पाटलिपुत्र कॉलोनी से दीघा के लिए सीधा रास्ता हो जाएगा • दीघा-पहलेजा रेल सह सड़क ब्रिज तक पहुंचने का रास्ता कम समय में तय होगा • इनकम टैक्स गोलंबर से राजभवन तक बेली रोड पर लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। (साभार : दैनिक भास्कर, 29.7.2015)

अब किस्तों पर टिकट लेकर करें हवाई सफर

विमानन क्षेत्र में चल रही रही प्राइसवार के बीच कंपनियां नए-नए ऑफर लेकर आ रही हैं। इस कड़ी में किफायती विमानन सेवा देने वाली स्पाइसजेट ने 'बुक नाउ पे लेटर' सुविधा की पेशकश की है। इसके तहत चुनिंदा बैंकों के क्रेडिट कार्ड से टिकट बुक करने पर उसका भुगतान 12 मासिक किस्तों में की जा सकेगी। कंपनी ने बताया कि इसके लिए कई बैंकों के साथ रणनीतिक करार किया गया है और उन बैंकों के क्रेडिट कार्ड से टिकट बुक करने पर उसका भुगतान तीन, छह, नौ और बारह मासिक किस्तों में किया जा सकेगा। स्पाइसजेट ने इसके लिए एक्सिस बैंक, एचएसबीसी बैंक, कोटक बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ करार किया है और उसने अन्य बैंकों के साथ भी इसी तरह की भागीदारी करने की बात कही है। उसने कहा कि इसके तहत भुगतान करके उपभोक्ता अन्य क्रेडिट कार्ड से बुक टिकट पर लगने वाले ब्याज में करीब 70 फीसदी की बचत कर सकते हैं। स्पाइसजेट ने हाल में घरेलू उड़ानों में 1 रुपए बेसफेयर पर एक लाख सीटों की पेशकश की थी।

(साभार : दैनिक भास्कर, 24.7.2015)

तत्काल बुकिंग के लिए आई कार्ड जरूरी नहीं

एक सितम्बर से तत्काल टिकट की बुकिंग कराते समय रिजर्वेशन स्लीप के साथ आई डी कार्ड की छायाप्रति देने की मजबूरी नहीं होगी। रेलवे ने सभी जोनल अधिकारियों को इस बाबत निर्देश जारी किए हैं। **ट्रेन में सफर के दौरान ये पहचान पत्र होंगे मान्य :** • निवार्चन आयोग द्वारा जारी वोटर फोटो आईडी कार्ड • पैन कार्ड • ड्राइविंग लाइसेंस • राज्य व केंद्र सरकार की ओर से जारी सीरियल नंबर युक्त सभी पहचान पत्र • मान्यता प्राप्त स्कूल व कांलेज की ओर से जारी छात्रों का फोटो युक्त पहचान पत्र • राष्ट्रीयकृत बैंको के पासबुक • बैंकों की ओर से जारी लेमिनेटेड क्रेडिट कार्ड • आधार कार्ड • राज्य व केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिला प्रशासन, नगर निकाय की ओर से जारी फोटो पहचान पत्र। (विस्तृत : हिन्दुस्तान, 4.8.2015)

अब ट्रेन में बैठते ही हो जाएगा इंश्योरेंस

- इंडियन रेलवे पैसेंजर्स व उनके लगेज के इंश्योरेंस पर कर रही है काम
- पैसेजर व इंश्योरेंस के बीच मुआवजे को लेकर अब नहीं होगा विवाद।

अब पैसेंजर्स को ट्रेन में बैंठते ही उनका और उनके लगेज का इंश्योरेंस हो जाएगा। जी हाँ, इंडियन रेलवे पैसेंजर्स को इंश्योरेंस देने की योजना पर काम कर रही है। इसके लागू होने के बाद मिनिमम चार्ज देकर पैसेंजर एक दिन का न सिर्फ अपना इंश्योरेंस बल्कि अपने सामान का भी इंश्योरेंस करा सकेंगे, अक्सर देखा गया है कि पैसेंजर और इंश्योरेंस के बीच मुआवजे को लेकर विवाद हो जाता है। रेलवे अब इस विवाद को हमेशा के लिए हल करने की दिशा में अपनी भूमिका तलाश रही है।

(विस्तृत : आई नेक्स्ट, 4.8.2015)

सुविधा एक्सप्रेस में अब स्लीपर क्लास भी

पटना से मुम्बई जाने वाली सुविधा एक्सप्रेस में अब यात्री स्लीपर क्लास में भी सफर कर सकेंगे। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अरविंद कुमार रजक ने बताया कि यात्रियों के मांग को देखते हुए पटना-मुम्बई सुविधा एक्सप्रेस का परिचालन 9 अगस्त से सप्ताह में दो दिन अर्थात पटना से रविवार एवं बुधवार तथा मुम्बई से मंगलवार एवं शुक्रवार को किया जाएगा। सभी वर्गों को सुविधा देने के लिए इसमें स्लीपर क्लास के कोच भी लगाये जाएंगे। सुविधा ट्रेन में इस नये संयोजन से सभी क्लास के यात्रियों को सहज रूप से बर्थ उपलब्ध हो जायेगा। श्री रजक ने बताया कि यात्रियों को पटना से मुम्बई जाने में सहज बर्थ नहीं मिलता था इसलिए सुविधा एक्सप्रेस की शुरूआत की गयी ताकि यात्रियों को सहज बर्थ उपलब्ध हो सके।

(साभार : आज, 3.8.2015)

पटना जंक्शन समेत 400 स्टेशन होंगे हाईटेक

पटना जंक्शन और राजेन्द्रनगर टर्मिनल हाइटेक होंगे। गया, हाजीपुर, रक्सौल, सहरसा, समस्तीपुर आदि स्टेशनों पर आधुनिक यात्री सुविधाएं उपलब्ध होंगी। स्टेशनों के पुन: विकसित करने की योजना पर केन्द्र सरकार ने हरी झंडी दे दी। वित्त एवं सूचना प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि लगभग 400 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होगा।

क्या होगी प्रक्रिया : इसकी प्रक्रिया 'स्विस चैलेंज' पद्धति के तहत होगी। इसमें कोई भी रियल स्टेट कारोबारी रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार करेगा। श्री जेटली ने बताया कि उक्त प्रस्ताव नें कोई दूसरा कारोबारी नया व बेहतर प्रस्ताव दे सकता है। सर्वश्रेठ प्रस्ताव की छंटनी होगी।

डेवलपर को स्टेशन परिसर का विकास मॉडल स्वयं तैयार करना होगा। वह अपनी लागत से स्टेशन परिसर का विकास करेगा। इसे राजस्व में हिस्सेदारी से वसूला जाएगा। राजस्व हिस्सेदारी भी डेवलपर स्वयं तय करेगा। रेलवे कारोबारी को जमीन मुहैया कराएगा।

(साभार : हिन्दुस्तान, 17.7.2015)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सभी अस्पतालों में 24 घंटे हेल्पलाइन शुरू

कर्मचारी राज्य बीमा निगम सभी अस्पतालों में चौबीस घंटे हेल्पलाइन सेवा शुरू करने जा रहा है। इसका नंबर 1800113839 है। यह हेल्पलाइन उन बीमाकृत व्यक्तियों और उनके पारिवारिक सदस्यों की कॉल सुनेगा, जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पतालों के हताहत व आपात विभाग से परामर्श तथा मार्गदर्शन प्राप्त करने के इच्छुक हों। बीमाकृत व्यक्ति कर्मचारी राज्य बीमा निगम मुख्यालय के सातों दिन चौबीस घंटे वाली इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करता है तथा आपात स्थिति में चिकित्सा परामर्श लेना चाहता है तो कॉफ्रेंस द्वारा यह कॉल संबंधित कर्मचारी बीमा निगम अस्पताल के आपात विभाग से जोड़ दी जाएगी।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों को अनुदेश दिया गया है कि वे हताहत/आपात विभाग में तैनात चिकित्सकों को अवगत कराएं कि कांफ्रेस द्वारा उक्त हेल्पलाइन नंबर से प्राप्त कॉल की वे प्राथमिकता के आधार पर सुनें तथा जरूरतमंद बीमाकृत व्यक्ति को अधिकतम संभव सहयोग प्रदान करें। कर्मचारी राज्य बीमा निगम अग्रणी सामाजिक सुरक्षा संगठन है जो व्यापक सामाजिक सुरक्षा हितलाभ जैसे पूर्ण चिकित्सा देखरेख तथा आवश्यकता जैसे कि रोजगार चोट, बीमारी, मृत्यु आदि के समय नकद हितलाभ प्रदान करता है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम उन परिसरों, अहातों पर लागू है जहाँ दस से अधिक व्यक्ति नियोजित हैं। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत 15 हजार प्रतिमाह तक मजदूरी करने वाले कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा तथा अन्य हितलाभों के हकदार हैं। (राष्ट्रीय सहारा, 19.7.2015)

पीएफ से तत्काल मिलेगी सीमित राशि

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के हित धारकों के लिए अच्छी खबर है। अब जरूरत पडने पर उन्हें तत्काल सीमित राशि का भुगतान हो सकेगा। 25,000 से 50,000 रुपये की राशि उन्हें तत्काल मिल जायेगा। प्रयास यह है कि यह सीमित राशि उन्हें उसी दिन बैंक से भुगतान हो जाये। हाँ, इसके लिए संबंधित हित धारक का यूएएन (यूनिवर्सल एकाउंट नंबर) एक्टिवेट होना जरूरी है। संगठन के ऐसे प्रस्ताव पर मंत्रालय विचार कर रहा है। ऐसे समय में होती है जरूरत। कई बार ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति एक संस्था में एक से दो साल काम करने के बाद नौकरी छोड़ देते हैं। फिर वे अपनी राशि निकासी करना चाहते हैं। नौकरी छोड़ने, गंभीर बीमारी या बेटी के शादी के मामले में पीएफ की सीमित राशि निकालने की अनुमति दी जाती है। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के सीमित राशि निकासी में ऐसे लोगों को सहूलियत होगी।

(साभार : प्रभात खबर, 4.8.2015)

नौ वर्षों में 1445 पुलों का हुआ निर्माण

राज्य में पिछले नौ वर्षों में 1445 पुल का निर्माण हुआ। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की देखरेख में पुल का निर्माण काम पूरा हुआ। इसके अतिरिक्त कई पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। राज्य पुल निर्माण निगम ने अपने काम के बदौलत पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 78 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया। पिछले वित्तीय वर्ष में निगम का टर्न ओवर 1700 करोड़ रहा पुल निर्माण निगम में साल दर साल विभिन्न योजनाओं के तहत पुल निर्माण का काम बढ़ता गया। राज्य में बड़ी संख्या में पुल के निर्माण से लोगों को आवागमन की सुविधा बढ़ी। इसके अलावा दूरी भी कम हुई। इससे लोगों का आना-जाना आसान हुआ।

कब किस परियोजना पर कितना व्यय

वित्तीय वर्ष	परियोजना पर व्यय (करोड़)	पूर्ण परियोजना संख्या	शुद्ध लाभ (करोड़)
2006-07	95.98	26	10.92
2007-08	417.47	77	45.35
2008-09	756	193	45.59
2009-10	853.84	233	42.27
2010-11	1158.42	195	35.59
2011-12	1294.36	284	84.24
2012-13	1273.31	140	63.82
2013-14	1480.85	143	72.54
2014-15	1700	144	78

(साभार : प्रभात खबर, 24.7.2015)

सूचना

फूड सेफ्टी एण्ड स्टैंडर्ड ऑथरिटी ऑफ इण्डिया (FSSAI) के आदेश दिनांक 6 अगस्त, 2015 के अर्न्तगत अनुज्ञप्ति एवं पंजीकरण की समय सीमा में छह माह का विस्तार कर 4 फरवरी, 2016 कर दिया गया है। संबंधित विभागीय आदेश ई-मेल द्वारा सदस्यों को भेज दिया गया है। इसकी प्रति चैम्बर कार्यालय में उपलब्ध है।

EDITORIAL BOARD

Editor
O. P. Tibrewal
Secretary General

Ramchandra Prasad
Chairman
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. Dubey
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-3200646, 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph.:0612-2690803, 2667296